फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :– 133/2023

नाथूसिंह बनाम कजोड सिंह

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06.11.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता नाथूलाल शर्मा हाजिर। अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यप्रकाश पारीक हाजिर। अप्रार्थी संख्या 9, 10 की ओर से अण्डरटेकिंग अधिवक्ता श्री रामरतन मीणा हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8, 11, 12, 14 लगायत 18 को सम्यक तामील के उपरान्त भी हाजिर नही, अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8, 11, 12, 14 लगायत 18 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है। अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाऐ रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	